

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

पक्षी जमनादास विपक्षी मधु

कसम मुकदमा 251 (क) 17/25 पत्रावली संख्या 13/25 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	-----------------------------------------

10/02/25
पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।
प्रति./विपक्षी/रेस्पो. को जरिये सम्मन/
नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद
तलबी दि. 06/03/25 को पेश हो।
(TDR के विद्वान् रिपोर्ट हेतु किया जावे।)


सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

6/3/25
उक्त कार्यवाही/प्रतिवादी उप. TDR No. 17/25
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 17/4/25
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/4/25
को पेश हो।


SDO मावली

17/4/25
आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली
में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....
13/5/25 को पेश हो।
2/0

13/05/25 पत्रावली पेश हुई। अर्थात् पक्षी
उप. अर्थात् पक्षी द्वारा निवेदन किया गया,
की पक्षी पक्षी को आगे नहीं चलाना
चाहते हैं उक्त में आगे कोई कार्यवाही
नहीं चाहते हैं। अतः पक्षी पक्षी
की पक्षी में आगे कोई कार्यवाही नहीं
चाहते हैं, ऐसे में उक्त को आगे चलाने
का कोई औचित्य नहीं है अतः पक्षी को
पक्षी पक्षी अ-नर्गल धारा 251 A R.T. Act. के
अन्तर्गत उप. किया जाकर खारिज किया गया।
पक्षी पत्रावली केसल सुधार होकर नम्बर से
पक्षी पक्षी अ-नर्गल धारा 251 A R.T. Act. के अन्तर्गत खारिज किया गया।

अब इस पत्रावली
आगे कोई कार्यवाही
नहीं चलाई जाये
इस ही बात
की जानकारी



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली